Swadeshi Research Foundation A Monthly Journal of Multidisciplinary Research
International Peer Reviewed, Refereed, Indexing & Impact Factor - 5.2, Ex- UGC S.N. 4990
ISSN : 2394-3580, Vol. – 9, No. – 12, Oct. – 2022, Conference Special Issues
2022

सहकारी शक्कर कारखानों की विपणन समस्याओं का अध्ययन

गौसेवक प्रसाद
शोधार्थी, संकाय– वाणिज्य, शा.वि.या.ता.स्ना.स्व. महाविद्यालय, दुर्ग
डॉ. धर्मेन्द्र सिंह
शोध निर्देशक, सहायक प्राध्यापक–वाणिज्य, शा.एन.सी.जैन महाविद्यालय, दिल्ली राजहरा
डॉ. हरजिन्दर पाल सिंह सलुजा
सह शोध निर्देशक, प्राध्यापक–वाणिज्य, शा.वि.या.ता.स्ना.स्व. महाविद्यालय, दुर्ग

शोध सारांश :– किसानों के द्वारा उत्पादित गन्ना का क्रय सहकारी शक्कर कारखाना के द्वारा किया जाता है तथा प्राप्त गन्ने को कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर शक्कर तथा सह उत्पाद से बिजली व खाद तैयार किया जाता है किन्तु उत्पादित शक्कर को राज्य शासन द्वारा कम दाम पर क्रय करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण कराते है जिससे कारखानें की उत्पादित लागत ही वसूल नही हो पाती है। कारखाने विभिन्न कारणों से बन्द होने के कारण हानि होती है और अपने उत्पाद की आपूर्ति कम होने से निर्यात नही कर पाती है। कृषकों को अपने उत्पाद का विक्रय के लिए आवश्यक परिवहन के साधनों के साथ–साथ बाजार के अभाव के कारण अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कारखानें में पेराई प्रारम्भ करने से पूर्व गन्ना खरीदी हेतु नीतियां बनाई जाती है जिससे कृषक समान्य हानि से बच सके जिससे कृषकों को अधिक आर्थिक लाभ अर्जन में सहायक हो व आवश्यकतानुसार गन्ना कच्चे माल के रूप में समय पर उपलब्ध हो सके। कारखाने में कच्चे माल की आपूर्ति कम होने के कारण उत्पादन कम होता है तथा परिवहन, ऋण की कमी, आदर्श क्रय प्रणली का अभाव के कारण उत्पादित माल को निर्यात करने में समस्याएं उत्पन्न होती है।

की वर्ड :– सहकारी, शक्करकारखाना, विपणन समस्या न्यूनतम समर्थन मूल्य, उचित और लाभकारी मूल्य, गन्ना कृषक आर्थिक लाभ।

प्रस्तावना – भारत में प्राचीन काल से ही गन्ना से चीनी व उनके उपोत्पाद से अन्य उत्पाद का उत्पादन किया जा रहा है। कृषि आधारित उद्योगों में गन्ना उद्योग का प्रमुख स्थान है। गन्ना उद्योग का ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करनें में महत्वपूर्ण योगदान है। शक्करउत्पादन में भारत का स्थान विश्व में द्वितीय पैदान पर है। शक्कर का उत्पादन सहकारी एवं निजी उद्योग के द्वारा उत्पादित की जाती है। उद्योग से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होती है एक ओर जहॉ गन्न कृषि में संलग्न होते है वही दूसरी ओर उद्योग में कार्यरत होते है। गन्ना कृषि एक वाणिज्यिक फसल है जिससे कृषकों को घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आय अर्जन में सहायता प्रदान करती है। वर्तमान समय में भारत में कुल 684 उद्योग है जिनमें से 298 निजी उद्योग, 62 सार्वजनिक व 324 सहकारी उद्योगो के द्वारा चीनी का उत्पादन किया जाता जा रहा है। गन्ना कृषि में लगभग 50 मिलियन कृषक गन्ना कृषि में संलग्न है एवं 5 लाख कर्मियों की आजीविका को प्रभावित करती है। भारत ब्राजील के बाद चीनी का सबसे अधिक उत्पादन करने एवं सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। उद्योग में गन्ना को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त कर शक्कर का उत्पादन करतें है। उद्योगों में कृषकों से गन्ना क्रय करके केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम् समर्थन मूल्य व राज्य सरकार द्वारा तय की गई राशि के अतिरिक्त कृषकों के उत्पाद का गन्ना उत्पादन के रिकवर्री दर के आधार पर अतिरिक्त राशि उचित एवं लाभकारी मुल्य के रूप में कृषकों को प्रदान करायी जाती है जिससे एक ओर कृषकों को अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति होती है वही दूसरी ओर अच्छे किस्त के गन्ने से अधिक मात्रा में चीनी का उत्पादन भी होता है।

किसी भी देश का विकास वहॉ के अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है जिनमें कृषि का स्थान महत्वपूर्ण है तथा उत्पादित उत्पाद का विपणन सम्बन्धी विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि उस देश का विकास का स्वरूप किस प्रकार है। विकसित देश हो या विकासशील जब तक की विपणन सम्बन्धी मूलभूत सुविधा उपलब्ध होगी तभी आगे विकास की ओर अग्रसर हो सकती है अन्यथा अवनति की ओर जा सकती है।

शोध साहित्य की समीक्षा :–

- **शंकर बी.एस.** (2004) ने अपने शोध अध्ययन में "द इकोनॉमिक्स ऑफ प्रोडक्शन एण्ड मार्केटिग ऑफ शुगरकेन ए स्ट्ड़ी ऑफ माण्ड्य एवं बेइगाम डिस्ट्रीक" अध्ययन का मुख्य उद्देश्य गन्ना फसल प्रतिरूप

गन्ना उत्पादन की समस्या विपणन की समस्या गन्ने की अपशिष्ट सें अन्य उपयोगिता का पता लगाया। शोधकर्ता ने माड्य व बेइगाम जिला मे गन्ना उत्पाद का अध्ययन किया, जिसमे दोनों जिलों के अधिकांश लोगों ने गन्ना कृषि मे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष उत्पादन व वितरण में लगे है। गन्ना कृषकों की आय सीमांत कृषकों का 150000 बडे कृषकों की आय 200000 से ऊपर की आय है। बड़े किसान की तुलना मे छोटे किसान की ऊपज अधिक है, क्योंकि बड़े किसान मजदूर का उपयोग अधिक करते है।

- **चलवाड़ी चनबसपा आई.** (2008) ने अपने शोध अध्ययन में "प्रॉब्लम् एण्ड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन एण्ड मार्केटिंग ऑफ शुगरकेन विथ रिफ्रेंस टु बेलगाम डिस्ट्रीक ऑफ कर्नाटका स्टेट" शोध का उद्देश्य गन्ने का उत्पादन तथा उत्पादकता मे वृद्धि व गन्ने के विपणन संबंधी समस्याओं का अध्ययन तथा बेलगाम जिले मे गन्ने की उत्पादन लागत को जानना। कर्नाटक में निजी एवं सहकारी क्षेत्र के 52 चीनी उद्योग में जहॉ गन्ने की कॉफी मांग है चीनी कारखाना द्वारा कृषकों को अधिक उपज के लिए वित तकनीकी आदि के द्वारा पोत्साहित किया जाता है।

अध्ययन क्षेत्र :– छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 26 वां राज्य के रूप में 1 नवम्बर 2000 को हुआ। राज्य के निर्माण के समय छत्तीसगढ़ में कुल 16 जिला था वर्तमान समय में राज्य में कुल 33 जिला है। छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल 135194 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ राज्य $17^0$46'' से $20^0$6'' उत्तरी अक्षांश एव $80^0$15'' से $84^0$24'' पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। राज्य में कुल जनसंख्या 25545198 है। राज्य में 76.8 प्रतिशत गॉव में निवास करते है जिनका आय का प्रमुख स्त्रोत कृषि है। शोध में छत्तीसगढ़ के सहकारी कारखाना का अध्ययन किया गया है। राज्य में कुल 4 शक्कर कारखाना है। बालोद जिला में स्थित मां दन्तेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाने व कवर्धा जिला 2 शोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना व सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना स्थापित है व सूरजपुर के केरता में मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना स्थापित है जिनके विपणन नीतियों व कृषकों के समस्याओं का अध्ययन किया गया है।

संमको का संकलन :– प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक व द्वितीयक संमकों का संकलन किया गया है।
द्वितीयक समंक छत्तीसगढ़ राज्य के गन्ना उत्पादन तथा कारखाना के प्रतिवेदन, आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा समंको का संकलन किया गया है। प्राथमिक समंक कृषकों से प्रत्यक्ष प्रश्नावली व साक्षात्कार के माध्यम से संकलन किया गया।

शोध अध्ययन का उद्देश्य :–

- शक्कर कारखानें में कच्चे माल का क्रय प्रणाली का अध्ययन करना।
- परिवहन व्यवस्था का अध्ययन करना।
- सरकार की योजनाओं का अध्ययन करना

शोध की परिकल्पना :–

- कारखानें की कच्चे माल का क्रय प्रणाली पर्याप्त नही है।
- कृषकों के लिए परिवहन व्यवस्था पर्याप्त नही है।
- सरकार की योजनाओं से फसल प्रतिरूप में परिवर्तन नही हुई है।

तालिका :– 1 दन्तेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद के वर्ष 2009–10 से 2021–22 तक गन्ना खरीदी, शक्कर उत्पादन व रिकवर्री दर

वर्ष	गन्ना क्रय मि. टन	उत्पादन मि. टन	रिकवर्री दर
2009–10	4074.205	163.897	4.02
2010–11	10370.039	623.3	6.01
2011–12	74141.360	5338.506	7.20
2012–13	79743.195	6905.0	8.66
2013–14	103931.345	8226.3	7.92
2014–15	75670.530	5135.805	6.79
2015–16	49553.610	4308.201	8.69
2016–17	44440.13	3879.62	8.73
2017–18	774630.262	68090.	8.79
2018–19	917269.74	83655.	9.12
2019–20	568097.999	53912.5	9.49
2020–21	32546.705	3383	10.40
2021–22	34905.666	3700.001	10.60

तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2009–10 से 2021–2022 तक गन्ना क्रय, शक्कर उत्पादन व रिकवर्री दर दर्शाया गया है जिसमें रिकवर्री दर में निरन्तर वृद्धि हो रही है। 9.50 प्रतिशत से अधिक रिकवर्री दर होने पर प्रति 0.1 प्रतिशत पर 2.75 प्रति क्विंटल की दर से प्रीमियम के रूप में दिया जाता है जिससे कृषकों आय अधिक हो जाती है।

वर्ष 2020–21 से रिकवर्री दर में वृद्धि हुई है जिससे कृषकों के आर्थिक आय में भी वृद्धि हुई है।

तालिका :– 2 छत्तीसगढ़ राज्य में वर्षवार गन्ना का रकबा व उत्पादन :–

वर्ष	क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर	उत्पादन हजार टन
2012–13	23.04	25.80
2013–14	23.96	29.30
2014–15	29.06	76.14
2015–16	30.14	46.93
2016–17	31.37	109.59
2017–18	34.85	64.19
2018–19	43.3	93.38
2019–20	31.2	69.8
2020–21	32.2	74.23

तालिका से स्पष्ट हो रहा है कि वर्ष 2012 से 2018 तक गन्ना रकबा व उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हुई है किन्तू वर्ष 2019 में गन्ना का उत्पादन व रकबा मे कमी हुई है। वर्ष 2020 में सरकार की राजीव गॉधी योजना के परिणाम स्वरूप कृषि प्रतिरूप में परिवर्तन देखने को मिला कृषक गन्ने के स्थान पर धान आदि फसल की ओर आकर्शित हुए जिसका परिणाम कारखाना में कच्चे माल की आपूर्ति कम होने के कारण कारखाना में शक्कर का उत्पादन कम होने लगा फलस्वरूप शक्कर का निर्यात के लिए आपूर्ति नही हो पा रही है।

क्रय प्रणाली :– कृषकों से गन्ना क्रय हेतु पेराई प्रारम्भ करने से पूर्व कृषकों को टोकन सुविधा प्रदान कराई जाती है जिससे कृषक फसल का कटाई समय पर कर सके तथा अपने उत्पाद को समय पर विक्रय कर सके। कृषक अपने फसल का कटाई टोकन के आधार पर करते है फिर भी विभिन्न कारणों से अपने उत्पाद को समय पर विक्रय नही कर पाते है। कृषकों के उत्पाद समय पर विक्रय नही हो पाने से उन्हे विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गन्ना कृषकों के लिए इन सब समस्याओं में सबसे बड़ी संमस्या परिवहन व्यवस्था का अभाव तथा कारखानों के बन्द होने के कारण गन्न का विक्रय समय पर नही हो पाता है जिससे कृषकों को परिवहन लागत अधिक अदा करनी पड़ती है फलस्वरूप उनके शुद्ध लाभ कम हो जाती है।

गन्ने का मूल्य निर्धारण :– गन्ने की कीमत निम्न द्वारा निर्धारित की जाती है।

केन्द्र सरकार :– उचित और लाभकारी मूल्य
केन्द्र सरकार उचित और लाभकारी मूल्यों की घोषणा करती है जो कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर निर्धारित होते है तथा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंड़ल समिति द्वारा घोषित किये जाते है। साथ ही साथ कारखाने में गन्ने के रिकवर्री दर के आधार पर कृषकों को एफ. आर. पी. भी प्रदान करायी जाती है।

राज्य सरकार :– राज्य परामर्श मूल्य एस. ए. पी.
गन्ना उत्पादक राज्यों में सरकार द्वारा राज्य परामर्श मूल्य एस.ए.पी. की घोषणा की जाती है।

तालिका :– 3 गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य, राज्य परामर्श मूल्य कृषकों को प्राप्त राशि

वर्ष	**केन्द्र सरकार** एम.एस.पी.	एस.ए. पी.	प्रति क्विंटल
2017–18	255	6.25	261.25
2018–19	275	50	305
2019–2020	275	80	355
2020–21	285	70	355
2021–22	290	65	355
2022–23	305	50	355

तालिका– 3 में दिखाया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम् समर्थन मूल्य, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राज्य परामर्श मूल्य व कृषकों को भुगतान की गई प्रति क्विंटल दर इसके अतिरिक्त कृषकों को गुणवत्ता प्रोत्साहन हेतु रिकवर्री दर के आधार पर उचित एवं लाभकारी मूल्य प्रदान की जाती है। इस प्रकार गन्ना कृषकों को अधिक लाभ अर्जन में सहायक होते है।

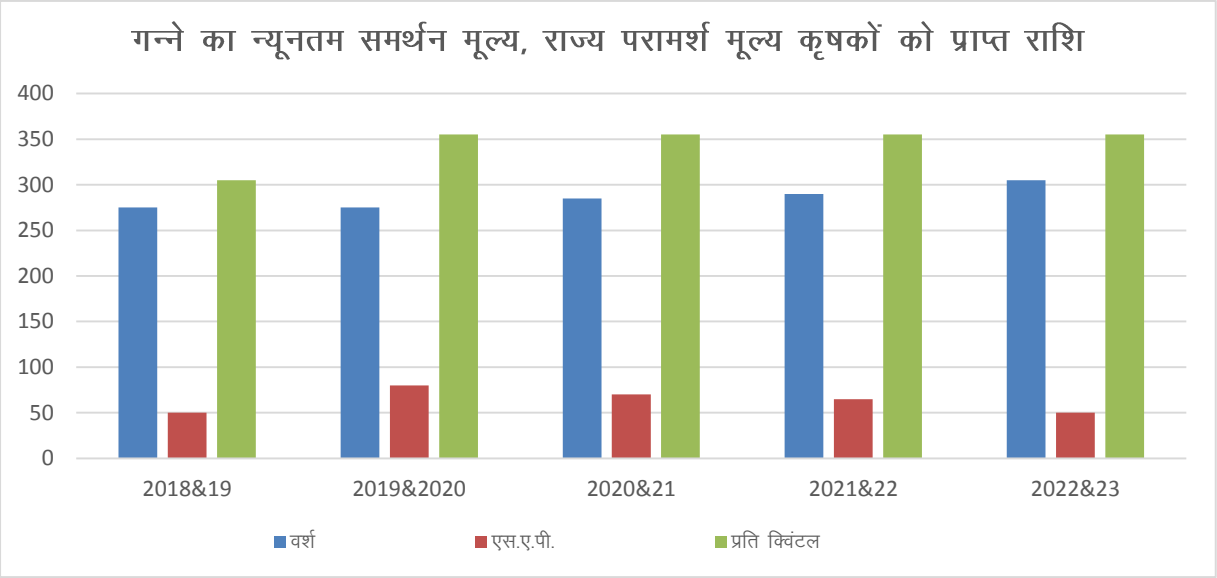

राज्य में गन्ने का उचित मूल्य सरकार के द्वारा अदायगी करने के बाद भी राज्य में गन्ने का रकबा व उत्पादन कम परिवहन व्यवस्था के कारण कृषक हतोत्साहित हो जाते है क्योकि कृषक टोकन लेने के बाद भी समय पर अपने उत्पाद को कारखाने में लाते है किन्तु कारखाने में प्रबंधकीय समस्या तकनीकी समस्या कारखाना बन्द होने आदि के कारण कृषक अन्य फसल का उत्पादन करते है।

राजीव गॉधी किसान न्याय योजना :– छत्तीसगढ़ के किसानों को उत्पादित फसलों के प्रोत्साहन हेतु कृषि रकबे में वृद्धि करने के उद्देश्य से कृषकों को शासन द्वारा राजीव गॉधी किसान न्याय की शुरूआत की गई। किसानों को यह राशि आदान सहायता के रूप में प्रदान की जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गॉधी की शहादत पुण्यतिथि 21 मई 2020 से प्रारम्भ की गई। इस योजना के शुरूआत से छत्तीसगढ़ के कृषि रकबा में बहुत परिवर्तन देखने को मिला साथ ही साथ अन्य फसल के कृषक धान के कृषि के लिए प्रोत्साहित हुए परिणामस्वरूप अन्य फसल के रकबा व उत्पादन में परिवर्तन हुआ।

राजीव गॉधी किसान न्याय योजना के तहत गन्ना फसल के लिए पेराई वर्ष 2019–2020 में सहकारी शक्कर कारखाना द्वारा खरीदी गई गन्ना के मात्रा के आधार पर एफ. आर. पी. राशि 261 रु. प्रति क्विंटल तथा प्रोत्साहन राशि कुल 93.75 रु. प्रति क्विंटल अर्थात 355 रु. प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया। वर्ष 2020 में गन्ना कृषि रकबा एवं उत्पादन में कमी देखने को मिला जिसके परिणामस्वरूप कारखानें में कच्चें माल की अभाव के कारण शक्कर का उत्पादन कम हुआ जो कि उपभोग में ही खपत हो जाता है निर्यात करने के लिए पर्याप्त उत्पाद उपलब्ध नही हो पाता है।

परिवहन व्यवस्था :– कृषक अपने उत्पाद को कारखानें तक ले जाने में उन्हें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कारखाना के द्वारा प्रदान की गई टोकन के आधार पर कटाई करातें है फिर भी कई दिनों तक उन्हें कारखाना में अपने उत्पाद का विक्रय करने के लिए रूकना पड़ता है जिससे उनके उत्पाद गाड़ी में ही रखनें के कारण उन्हें बहुत अधिक मात्रा में परिवहन व्यय करने पड़ते है फलस्वरूप कृषक हतोत्साहित हो जाते है। परिवहन व्यय अधिक होने के कारण कृषक अन्य फसल का उत्पादन करते है जिससे गन्ना उत्पादन कम होने से कारखानें में कच्चे माल के अभाव के कारण शक्करका उत्पादन कम होता है जिससे कारखानें के अन्तर्राश्ट्रीय व्यापार के लिए उत्पाद का अभाव बना रहता है।

निष्कर्ष :– सहकारी शक्कर कारखाने के अन्तर्राष्ट्रीय विपणन के लिए कारखानें में पर्याप्त कच्चे माल की आपूर्ति होने से शक्कर का उत्पादन उपभोग के अतिरिक्त उत्पाद को निर्यात किया जायेगा जिससे कारखानें में अधिक मात्रा में शक्कर उत्पादन करनें से उत्पादन लागत में कमी आयेंगी। छत्तीसगढ़ में कृषकों को गन्ना उत्पाद के उत्पादन हेतु प्रोत्साहन करने के लिए विभिन्न योजनाएँ बनाई जानी चाहिए ताकि गन्ना रकबा व उत्पादन में वृद्धि हो और कारखाना में अधिक मात्रा में कच्चे माल की प्राप्ति से उत्पादन अधिक होगा जिसे उत्पाद को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायक होगा। कृषको को परिवहन व्यवस्था की सुविधा प्रदान करने से कृषक प्रोत्साहित होंगे क्योंकि कृषक परिवहन व्यवस्था

के अभाव के कारण कृषि नही करते या अन्य फसलो का उत्पादन करते है साथ–साथ कृषकों से गन्ना क्रय प्रणाली में भी सुधार की आवश्यकता है जिससे कृषक कटाई के तुरन्त बाद अपने उत्पाद का विक्रय कर सके। कृषको को प्रोत्साहित करने व गुणवत्तापूर्ण गन्ना उत्पाद हेतु बीज, सिंचाई, खाद व ऋण की सुविधा साथ–साथ उन्हे गन्ना मूल्य का भुगतान समय में कि जानी चाहिए जिससे कारखाना में पर्याप्त कच्चे माल उपलब्ध हो सके व उत्पाद को निर्यात किया जा सके।

सन्दर्भ :–

- V.Palanichamy March 1997 “Sugar Industry In Tamil Nadu Study On Policy And Administration' Ph.D Thisis Madras University March 1999
- दास, हरसरन.(2012). कृषि अर्थशास्त्र : रामा पब्लिकेशन हाउस, दिल्ली
- ठाकुर, डॉ. बी.एस. (2012). सहकारिता : साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा
- मिश्र, डॉ. रमेन्द्रनाथ (2012) समग्र छत्तीसगढ़ : छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
- शुक्ला डॉ. एस.एम. (2019) सांख्यिकीय विश्लेषण : साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आहूजा राम (2010) सामाजिक अनुसंधान : रावत पब्लिकेशन्स
- छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क योजना पत्रिका
- Agiportal.cg.nic.in
- Coop.cg.gov.in
- Dmsskm.com
- https://drishtiias.com
- पत्रिका अतिरिक्तांक प्रतियोगिता दर्पण भारतीय अर्थव्यवस्था
- cg economic survey 2021 descg.gov.in
- agricoop.nic.in
- eands.dacenet.nic.in
- https:www.bhaskar.com.